

कार्यालय, आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर
दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2017

वरिष्ठ नागरिकों के लिये ट्रेन एवं हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर

—: रेल यात्रा हेतु तीर्थ स्थान :-

1 पंजोदेवी 2 अमृतसर 3 गया बोधगया-काशी-सारनाथ 4 रामेश्वर 5 विहार शरीफ नालन्दा राजगीर 6 जगन्नाथपुरी 7 द्वारकापुरी
8 शिरडी 9 गोवा 10 तिरुपति 11 रामेश्वरम् 12 पटना साहिब 13 श्रवणबेलगोला
तीर्थ यात्रा रेल का प्रस्थान स्थल :- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर

—: हवाई यात्रा हेतु तीर्थ स्थान :-

1. रामेश्वरम् कन्नड़/मदुरई तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा 2. जगन्नाथपुरी :- मुम्बई तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा
3. तिरुपति :- बंगलूर तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा 4. गोवा
5. वाराणसी (काशी)-सारनाथ - वाराणसी तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा
6. बिहार शरीफ-नालन्दा-राजगीर पटना तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा 7. शिरडी :- मुम्बई तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा
8. अमृतसर 9. सम्मेट शिखर कलकत्ता/रांची/पटना तक हवाई जहाज द्वारा आग वस द्वारा यात्रा 10. पटना साहिब
तीर्थ यात्रा हवाई जहाज का प्रस्थान स्थल :- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर

—: तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता :-

- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आयकर दाता न हो।
- इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।
- शिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
- याना हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी सक्रामक रोग यथा टी.बी., श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कांजेस्टिव कार्डियक, Coronary अपथोपता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से राजीनवृत्त कर्मचारी, अधिकारी व उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।
- दिनांक 1 जुलाई 2017 को 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति रेल यात्रा हेतु एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा हेतु पात्र होंगे।

—: तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे।
 - आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक दोनों के पास भामाशाह/आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए।
 - ऑनलाईन आवेदन व भामाशाह कार्ड हेतु संचालित पोर्टल से फार्म भरा जा सकता है। ई-मेल केंद्र पर भी य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
 - आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ-स्थल वरीयता कम (Preference) में अंकित किया जाए।
 - आवेदन के उपरान्त उसकी प्रिंटेड प्रति सुविधा हेतु रख लें।
- नोट:- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही भामाशाह कार्ड हेतु पंजीयन का कार्यावाही पूर्ण कर लें। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

आवेदन की अवधि

दिनांक 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक

—: अन्य मुख्य शर्तें व प्रावधान :-

- आवेदक को आवेदन में किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाइल नंबर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा तिनसे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सकें।
 - 70 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले रेल यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नहीं है। हवाई जहाज से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ सहायक याना पर जाने का पात्र नहीं होगा। पुरुष सहायक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा महिला सहायक की आयु 30 से 45 वर्ष होगी।
 - पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी।
 - आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी।
 - आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी सहायक भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है।
 - सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि आवेदक को अनुभव है।
 - यात्रियों का वयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी द्वारा किया जाएगा। वयनित यात्रियों की सूची जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय तथा देवस्थान विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
 - वयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
 - वयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थयात्रा नहीं करता, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- नोट-योजना व प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देवस्थान विभाग की वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक आवेदन से पूर्व उनका समुचित अध्ययन कर लें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

आई.ए.एस.

आयुक्त

देवस्थान विभाग

राजस्थान उदयपुर